

**बहुमंजिला परिसरों (ग्रुप हाउसिंग योजनाओं सहित) में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु
आवेदन पत्र**

अधीक्षण अभियंता,
जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग,
नगर वृत्त (उत्तर/दक्षिण, परियोजना) जयपुर

1. आवेदन की दिनांक	
2. जेडीए जोन	
3. नगर निगम वार्ड संख्या	
4. परिसर का पूर्ण पता	
5. आवेदनकर्ता रजिस्टर्ड सोसायटी का नाम (पंजीकरण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
6. जयपुर विकास प्राधिकरण/जयपुर नगर निगम द्वारा अनुमोदित का विवरण (अनुमोदन पत्र मय नक्शा संलग्न करें)	
7. परिसर में कुल आवासीय प्लैट संख्या	
8. परिसर का कुल क्षेत्रफल	
9. परिसर की ऊँचाई	
10. परिसर का कुल बिल्टअप क्षेत्रफल	
11. अनुमोदित एफ ए आर (FAR) का विवरण	
12. वर्तमान में अधिग्रहित (occupied) प्लैटो की संख्या	
13. वर्षा जल पुर्नभरण ढांचा निर्मित – हाँ/नहीं	

14. पुर्नचक्रित जल शोधन यंत्र – हाँ/नहीं (ग्रुप हाउसिंग के लिये अनिवार्य)	
15. परिसर/भवन का प्रकार (आवासीय/वाणिज्यिक /औद्योगिक/संस्थागत/संयुक्त)	
16. अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करने की दिनांक (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)	

हस्ताक्षर

नाम

आवेदक पंजीकृत आवासीय सोसायटी
पंजीकृत संख्या

नोट :

1. जिन क्षेत्रों में वर्तमान में बीसलपुर परियोजना से पेयजल व्यवस्था विद्यमान नहीं है ऐसे आवेदक अधीक्षण अभियंता परियोजना, नगर वृत जयपुर के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा शेष समस्त आवेदक संबंधित वृत कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
2. आवेदन पत्र पर पेयजल उपलब्धता की फिजिबिलिटी की स्थिति को मध्येनजर रखते हुये परिपत्र दिनांक 30.11.2016 के अनुसार निर्णय लिया जाकर डिमांड नोट की राशि के बारे में विभाग के संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा सूचित किया जायेगा। राशि जमा कराने के पश्चात् स्वीकृति जारी की जायेगी तत्पश्चात् योजना की क्रियान्विति के उपरान्त आवेदनकर्ता को नवीन जल-सम्बन्ध जारी कराने हेतु पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में सम्पर्क कर आवेदन करना होगा।